समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 138/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थाना अध्यक्ष, आलमनगर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के प्रतिवेदन के आधार पर **श्री एस0एम0अहमद नादा पे0 स्व0 एस0 एम0 उमर अली, सा0 मधैली थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-111/2835(आलमनगर थाना)** को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। **अनुज्ञप्तिधारी** के द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया है एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त की छायाप्रति एवं विहित प्रपत्र में शस्त्र का ब्यौरा अंकित कर समर्पित किया गया है।

लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं थानाध्यक्ष, आलमनगर के संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। संचिका में उपलब्ध शस्त्र का बायोडाटा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति कब तक नवीकृत एवं निरीक्षित है, अंकित नहीं है। दिनांक 19.10.2013 को थाना अध्यक्ष, आलमनगर एवं अंचल अधिकारी, आलमनगर द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी की उम्र-64 वर्ष, स्वास्थ्य क्षीण एवं बाँये हाथ की चार अंगुलियाँ बेकार है। अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हैं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा अवैध रूप शस्त्र का परिचालन किए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह शस्त्र अधिनियम-1959 की सुसंगत धाराओं के विल्कुल ही विपरीत है। ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्ति को बरकरार रखा जाना नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव अंचल अधिकारी/ थाना अध्यक्ष, आलमनगर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए **श्री एस0एम0अहमद नादा पे0 स्व0 एस0एम0उमर अली, सा0 मधैली थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-111/2835(आलमनगर थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से **"निलंबित"** किया जाता है। धारा-21 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक सं0-83125 को आलमनगर थाना अथवा मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा स्पष्टीकरण के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा प्राप्त प्रतिवेदन को आधार मानकर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में **"निलंबित"** प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 238 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 29-04-2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री एस0एम0अहमद नादा पे0 स्व0 एस0एम0उमर अली, सा0 मधैली थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा